



झारखण्ड गजट असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या – 147 राँची, गुरुवार,
26 चैत्र, 1948 (श०)
16 अप्रैल, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प
5 मार्च, 2026

सं०सं०: 33/वि० (भत्ते)-55/2017/727/ वि०

विषय: राज्य के सरकारी सेवकों को वायुयान से यात्रा से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2530/वि० दिनांक 25.08.2023 (यथा संशोधित) में संशोधन के संबंध में।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार ने अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों के भाँति पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि० दिनांक 18.01.2017 तथा संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 (यथा संशोधित) के द्वारा केन्द्र के अनुरूप विभिन्न भत्ते अनुमान्य किये गये हैं।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 (यथा संशोधित) में वायुयान से यात्रा संबंधित कंडिका-5(V)(A)(क) को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2530/वि० दिनांक 25.08.2023 (यथा संशोधित) द्वारा निम्नरूपेण संशोधित किया गया है:-

क्र०सं०	ग्रेड वेतन	अनुमान्यता
1	Level 15, Level 16 एवं Level 17 का वेतनमान पाने वाले सरकारी सेवक	एक्जेक्यूटिव श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे।
2	Level 12, Level 13, Level 13A एवं Level 14 का वेतनमान पाने वाले सरकारी सेवक	इकोनोमी श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे।
3	Level 10 एवं 11 का वेतनमान पाने	वायुयान से इकोनोमी श्रेणी में यात्रा की

वाले सरकारी सेवक	अनुमति विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा निम्न शर्तों अधीन दी जा सकेगी:- (a) इस प्रावधान का उपयोग अत्यंत ही विशेष परिस्थिति में किया जायेगा। (b) यात्रा व्यय मद में उपबंधित राशि को भी ध्यान में रखा जाय। (c) स्वीकृति आदेश में अत्यंत विशेष परिस्थिति को स्पष्ट किया जाय।
------------------	--

3- भारत सरकार के केन्द्रीय कर्मियों के यात्रा भत्ता से संबंधित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) OM No. 19030/1/2017-E.IV दिनांक 13-07-2017 के साथ संलग्न ANNEXURE की कंडिका-2 में निम्न प्रावधान है:-

2- Entitlements for Journeys on Tour or Training
A.(i) Travel Entitlements within the Country

Pay Level in Pay Matrix	Travel Entitlements
14 and above	Business/Club class by air or AC-I by Train
12 and 13	Economy class by air or AC-I by Train
6 to 11	Economy class by air or AC-II by Train
5 and below	First Class/AC-III/AC Chair Car by Train

4- वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 3ए°-03-भत्ता 01/2017-8044 दिनांक 11.10.2017 की कंडिका-5(A)(क) के द्वारा वायुयान से यात्रा संबंधित यात्रा भत्ता का प्रावधान निम्नवत है:-

क्र°सं°	वेतन स्तर	यात्रा भत्ता
1	वेतन स्तर 14 एवं अधिक	Business Class
2	वेतन स्तर 11,12 एवं 13	Economy Class
3	वेतन स्तर 8, 9 एवं वेतन स्तर 10 (AIS and Central Services)	Economy Class under special permission

5. वित्त विभाग के समक्ष ऐसे दृष्टांत समाने आये हैं, जिसमें सरकारी कर्मों द्वारा समयाभाव के कारण विशेष परिस्थिति में वायुयान से यात्रा की जाती है, परन्तु वायुयान से यात्रा की अनुमान्यता नहीं के कारण भुगतान में कठिनाई होती है, जबकि संबंधित सरकारी सेवक द्वारा सरकारी आदेश से यात्रा की जाती है।

6. उपरोक्त के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि° दिनांक 27.03.2018 (यथा संशोधित) की कंडिका-5(V)(A) (क) में निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र°सं°	ग्रेड वेतन	अनुमान्यता
1	Level 14 एवं इससे ऊपर का वेतनमान पाने वाले सरकारी सेवक	Business Class में यात्रा के हकदार होंगे।
2	Level 11, Level 12, Level 13 एवं Level 13A का वेतनमान पाने वाले सरकारी सेवक	इकोनोमी श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे।
3	Level 9 एवं 10 का वेतनमान पाने वाले सरकारी सेवक	वायुयान से इकोनोमी श्रेणी में यात्रा की अनुमति विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा निम्न शर्तों के अधीन दी जा सकेगी:- (a) इस प्रावधान का उपयोग अत्यंत ही विशेष परिस्थिति में किया जायेगा। (b) यात्रा व्यय मद में उपबंधित राशि को भी ध्यान में रखा जाय।

		(C) स्वीकृति आदेश में अत्यंत विशेष परिस्थिति को स्पष्ट किया जाय।
--	--	--

7. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 737/वि० दिनांक 27.03.2018 एवं संकल्प संख्या 2530/वि० दिनांक 25.08.2023 (यथा संशोधित) को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
8. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 268/वि० दिनांक 02.02.2026 के क्रम में दिनांक 24.02.2026 की बैठक के मद सं० 09 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव।
